

न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक, गंगापुर सिटी
 पोस्टासन अधिकारी—श्री रवि वर्मा

संख्या 10/18

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर।
 श्री विजेन्द्र उर्फ गुड्डू पुत्र हरिसिंह जाति जाटव निवासी आरी पावर हाउस के पास
 गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी

तारीख 04/02/2018

—मागम(प्रार्थी)

—गैर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग-पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975
 निर्णय

दिनांक- 15.04.2018


पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल (अप्रार्थी) श्री विजेन्द्र उर्फ गुड्डू पुत्र हरिसिंह जाति जाटव निवासी आरी पावर हाउस के पास, गंगापुर सिटी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल (अप्रार्थी) के विरुद्ध पंजीवद्ध होना बताया है।

| क्र.सं. | एफआईआर नं० | दिनांक | धारा | चार्जशीट नम्बर | दिनांक | निर्णय का विवरण |
|---------|------------|----------|---------|----------------|----------|------------------|
| 1 | 29/10 | 03.02.10 | 13 RAGO | 07 | 09.02.10 | 50 रु० जुर्माना |
| 2 | 687/09 | 08.11.09 | 13 RAGO | 295 | 06.11.09 | 200 रु० जुर्माना |

उक्त पंजीवद्ध आपराधिक प्रकरणों में वाद जाँच चार्जशीट किता कर संबंधित न्यायालय में चालान पेश किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा गैरसायल को 2 बार राजस्थान सार्वजनिक धुत आध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत दोषी मानते हुए दण्डित किया गया है लेकिन गैरसायल द्वारा खुले आम सट्टे की खाईवाली करने से नगर पालिका क्षेत्र गंगापुर सिटी में रहने वाली आम जनता के जीवन के लिये एवं शान्ति व्यवस्था के लिये पूर्ण रूपेण खतरा बन गया है। इससे लोग भारी परेशान है। गैरसायल 6 माह के अन्दर सट्टा व जुआ जैसे कई अपराध अभ्यासतः करता है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

अभियोग पत्र के साथ तालिका में अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट प्रतियां प्रस्तुत की है।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के नियम-4 में उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण



↓
 अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
 गंगापुर सिटी

अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निर्दिष्ट जायी किया गया। गैरसायल कारिणी

गैरसायल को खिलाफ वर्तमान में पुलिस थाना गंगापुर सिटी में 2 मुकदमों दर्ज हैं। जिसमें

गैरसायल द्वारा खुले आम सट्टे की 200 रु0 के जुर्माना से दण्डित किया हुआ है। लेकिन

रखने वाली आम जनता के जीवन के खराईवाली करने से नगर पालिका क्षेत्र गंगापुर सिटी में

अपराध अभ्यासत करता है। अतः गैरसायल 8 माह के अन्दर सट्टा व जुआ जैसे कई

अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

विद्वान वकील गैर सायल ने जवाब में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में

उल्लिखित है तथा अपने परिवार सन् 2011 से विचाराधीन है। प्रार्थी गरीब मजदूर पेशा

की पत्नी बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी है। प्रार्थी मुलजिम के ऊपर

शे प्रेरित होकर उक्त प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहता है। प्रार्थी सन् 2011 से

अनवीक्षा भुगत रहा है, साथ ही वकील गैर सायल ने गैरसायल के प्रति नरमी का रुख

आपनाते हुए उक्त प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी व विद्वान वकील गैर सायल की बहस सुनने व मनन करने तथा

अभियोग पत्र पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का मलीमांति अवलोकन करने के

पश्चात में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना गंगापुर सिटी में

2 मुकदमों दर्ज है। जिसमें 2 मुकदमों में गैरसायल को 50 एवं 200 रु0 के जुर्माना से

दण्डित किया हुआ है। राजस्थान लोक द्यूत क्रिडा अध्यादेश की धारा 13 के अन्तर्गत

अपराध दो बार दोष सिद्ध होने के तदुपरान्त भी गैरसायल द्वारा द्यूत क्रिडा कृत्य कारित

करने की पुनरावृत्ति की पुष्टि होती है तथा इस अभिलेखिय साक्ष्य के आधार पर गैरसायल

द्वारा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 (ख) (5) में वर्णित अपराध

कारित किया जाना स्पष्टतः साबित होता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर मैं इस

निष्कर्ष पर पहुंचा हू कि:-

1. गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 (ख) (5) में वर्णित

अपराध कारित करने का आदी है एवं गैरसायल को उक्त तालिका में अंकित 2

अपराधों में माननीय न्यायालय द्वारा 2 मुकदमों में 50 एवं 200 रु0 के जुर्माना से

दण्डित किया हुआ है। अतः गैर सायल गुण्डा की श्रेणी में आता है।

2. गैरसायल की गतिविधियां एवं प्रवृत्तियां अनैतिक एवं दुष्प्रेरित है। जो थाना क्षेत्र गंगापुर

सिटी जिला गंगापुर सिटी के लिए घातक एवं खतरनाक है तथा जनसाधारण के

लिए हानिप्रद व दुष्प्रेरणा से प्रेरित करने वाली है।

3. गैरसायल के विरुद्ध यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार है कि गैरसायल जिले में

राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 (ख) (5) में वर्णित अपराधिक

कृत्य करने में संलिप्त है।




Handwritten signature in blue ink.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

लिहाजा

मैं रवि वर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डनायक, गंगापुर सिटी गैरसायल श्री विजेन्द्र उर्फ गुडडू पुत्र हरिसिंह जाति जाटव निवासी आरी पावर हाउस के पास, गंगापुर सिटी को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गुण्डा घोषित करता हूँ एवं उसे एक माह की समयावधि के लिए गंगापुर जिले से निष्कासित करने का आदेश देता हूँ। थानाधिकारी पुलिस थाना गंगापुर सिटी को आदेश जारी हो कि वे आदेश प्रसारित की दिनांक से पन्द्रह दिवस पश्चात् गैरसायल को पन्द्रह दिवस की समयावधि के लिए जिला मुख्यालय करौली रहने हेतु थानाधिकारी कुडगांव को सुपुर्द करें। गैरसायल को सुविधाजनक मार्ग से ले जाया जावे, गैरसायल वहां निवास की जानकारी के लिए थाने में उपस्थिति देगा एवं 15 दिवस की समाप्ति से पूर्व जिला गंगापुर सिटी के किसी भी भाग में प्रवेश नहीं करेगा। निर्णय की एक प्रति पुलिस अधीक्षक गंगापुर सिटी को भेजे व एक प्रति गैरसायल को दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रवि वर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी